**विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं-26 का उत्तर।**

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 26 (क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी आबकारी की दुकानें पंजीकृत है? | प्रदेश में वर्ष 2024-25 में अभी तक कुल 30,489 दुकानें पंजीकृत हैं। |
| (ख) प्रदेश में आबकारी की दुकानों को बढ़ाये जाने के संबंध में क्या सरकार की कोई कार्य-योजना है? | प्रत्येक वर्ष घोषित आबकारी नीति में दुकानों की संख्या बढ़ाये जाने का प्राविधान किया जाता है। आबकारी नीति वर्ष 2024-25 विषयक शासनादेश दिनांक 21-12-2023 के प्रस्तर-3.9 में 03 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के नवसृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। इससे अधिक की आवश्कता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों के सृजन का प्राविधान किया गया है। |
| (ग) यदि हाॅ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे? | वर्ष 2024-25 में दुकानों के नवसृजन विषयक आदेश दिनांक 15-03-2024 एवं आदेश दिनांक 26-04-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में देशी मदिरा की 354, विदेशी मदिरा की 222, बियर की 301, माडल शॉप की 03, भांग की 13 कुल 893 दुकानों का नवसृजन किया गया है। |
| (घ) यदि नहीं, तो क्यों ? | प्रश्न नहीं उठता । |

Signed by
Nitin Agarwal
Date: 16-07-2024 16:20:18

(नितिन अग्रवाल)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग।